न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 319/2022 राजस्व वाद

1. वाहिद नूर पुत्र श्री मुबारिक हुसैन रंगरेज आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादी

बनाम

01. मुबारिक हुसैन रंगरेज पुत्र श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. वाहिदा बानू रंगरेज पुत्री श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. रमजी पुत्री श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. सलमा रंगरेज पुत्री श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. यास्मीन पुत्री श्री मुबारिक हुसैन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. अल्लाबेली पुत्र श्री ईस्माईल रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–
    7/1. जेतुन बानू पत्नी अल्लाबेली उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
    7/2. जन्नत बानो, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
    7/3. रईशा बानू, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
    7/4. सईदा बानू, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
    7/5. इकबाल पिता अल्लाबेली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
    7/6. सलीन पिता अल्लाबेली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
    7/7. साबीर पिता अल्लाबेली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
    7/8. असलम पुत्र अल्लाबेली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा– 151 जा0दी0

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार लखारा ———अधिवक्ता वादी

श्री कमलेश मेहता —अधिवक्ता प्रति.सं.07

दिनांक– 18.02.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वादत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,92(क), 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत बाबत घौषणा, इन्द्राज, दुरूस्ती एवं दिलाया जाने जायदाद कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का सरहद बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे खाता संख्या 05 मे आराजी नम्बर 4988 रकबा 1.1129 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4989 रकबा 0.3288 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4990 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 7065 रकबा 0.4932 हैक्टयर, आराजी नम्बर 7066 रकबा 1.3911 हैक्टयर, आराजी नम्बर 7069 रकबा 0.7588 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 4.1607 हैक्टयर भूमि

मे खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाने व उक्त भूमि को अन्य को रहन, विक्रय हस्तांतरण नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा के संबध मे पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश किया गया कि वादी ने अपने पिता मुबारिक हुसैन के जीवित रहते मुस्लिम रिती अनुसार व मुस्लिम लॉ के अनुसार किसी प्रकार का वाद अपने पिता व अन्य भाई बहनो व रिश्तेदारो के विरूद्व अपने पिता को प्राप्त आराजियात व जायदाद के बाबत कोई वाद लाने का हक व अधिकार नही होने से वादी ने अपने पिता के जीवित रहते वाद अपने पिता मुबारिक व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व उक्त आराजियात बाबत न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमे वादी ने अपने दादा अलादीन को प्राप्त आराजियात तथा उनके निधन के पश्चात अपने पिता प्रतिवादी संख्या 01 को विरासत से प्राप्त हुई आराजियात मे 1/30 हिस्सा पुश्तैनी आराजियात मे अपना हक अधिकार बताते हुए वाद पेश किया है। मुस्लिम विधि के अनुसार अपने पिता के जीवित रहते हुए उसका पुत्र या पुत्री कोई वाद अपने पिता के विरूद्व पुश्तैनी आराजियात का कथन करते हुए अपने हिस्से की आराजियात प्राप्त करने बाबत अपने पिता के जीवित रहते पेश नही कर सकता है। अपने दादा की सम्पति मे अपने पिता को विरास्त से प्राप्त सम्पति मे उसे पुश्तैनी बताकर अपना हिस्सा मांगने का अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही दिया है। मुस्लिम विधि मे इस प्रकार का कोई अधिकार अपने पिता के जीवित रहते हुए उसके पुत्र व पुत्री को जायदाद पुश्तैनी होने के आधार पर वाद के जरिये अपना हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार पुत्र को नही होता है। वादी के पिता मुबारिक हुसैन अभी जीवित है, ऐसी स्थिति मे उनको उनके पिता अलादीन जी से प्राप्त आराजियात मे कोई हक अधिकार इस स्टेज पर प्राप्त करने का अधिकार नही है। इस कारण से वादपत्र खारीज करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) आरआरटी 803 श्रीमती रूकसाना व अन्य पेश किया गया।

उक्त प्रार्थनापत्र का वादी द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश कर प्रार्थनापत्र खारीज किया गया। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) आरआरटी 803 श्रीमती रूकसाना व अन्यका ससम्मान अवलोकन किया गया व प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि मुस्लिम लॉ अनुसार पिता के जीवित रहते पुत्र पुत्री को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है। इस कारण से वादपत्र खारीज करने का निवेदन किया

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया प्रतिवादी संख्या 01 जो कि वादी का पिता है, वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 जीवित है। इस कारण से मुस्लिम लॉ अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के जीवन काल मे वादी को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है। अतः वादी का वादपत्र प्रथम दृष्टया चलने योग्य नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 07 सात का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रतिवादी संख्या 07 अलाबेली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज किया जाता है। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 319 / 2022 राजस्व वाद

01. वाहिद नूर पुत्र श्री मुबारिक हुसैन रंगरेज आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– वादी

बनाम

01. मुबारिक हुसैन रंगरेज पुत्र श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयरक निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. वाहिदा बानू रंगरेज पुत्री श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. रमजी पुत्री श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. सलमा रंगरेज पुत्री श्री अलादीन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. यास्मीन पुत्री श्री मुबारिक हुसैन रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. अलाबेली पुत्र श्री ईस्माईल रंगरेज (नीलगर) आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

7/1. जेतुन बानू पत्नी अल्लाबेली उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

7/2. जन्नत बानो, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

7/3. रईशा बानू, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

7/4. सईदा बानू, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

7/5. इकबाल पिता अल्लाबेली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

7/6. सलीम पिता अल्लाबेली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

7/7. साबीर पिता अल्लाबेली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

7/8. असलम पुत्र अल्लाबेली, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
09. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा– 151 जा0दी0</u>

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार लखारा , एडवोकेट और प्रतिवादी सख्या 07 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश मेहता उपस्थिति मे प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थनापत्र मे इस वाद के आज दिनांक 18.02.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे

लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

प्रतिवादी संख्या 07 अलाबेली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज किया जाता है।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)